Rajasthan State Road Development & Construction Corporation Ltd.
(Formerly RSBCC Ltd.)
(A GOVERNMENT OF RAJASTHAN UNDERTAKING)
CIN No. U45203RJ1979SGC001853
Regd. Office : Setu Bhawan, Opposite Jhalana Doongari, Jaipur-Agra Bypass, Jaipur-302004
LC

B-19(42)LC/RTPP/22/ 19817 **Date:-** 21-01-22

<u>अतिआवश्यक</u>

परियोजना निदेशक,
आर.एस.आर.डी.सी.लि.,
इकाईः– विद्युत–प्रथम, जयपुर।

विषयः– द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी, आर एस आर डी सी लि., जयपुर द्वारा आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के अन्तर्गत दायर द्वितीय अपील 42/2022, मैसर्स देव कन्स्ट्रक्शन बनाम परियोजना निदेशक, इकाई– धौलपुर, आर.एस.आर.डी.सी.लि. में पारित निर्णय दिनांक 21.01.2022 को आर. एस.आर.डी.सी.लि. के पोर्टल पर अपलोड करने के क्रम में।

महोदय,

विषयान्तर्गत दर्शित द्वितीय अपील में पारित निर्णय दिनांक 21.01.2022 की प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न कर अनुरोध है कि निर्णय को आर.एस.आर.डी.सी.लि. के पोर्टल पर अविलम्ब अपलोड करते हुये अपलोड की सूचना विधि अनुभाग को देने का श्रम करें।

भवदीय,

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

21.01.22
(विभात सींवर)
वरिष्ठ विधि अधिकारी

Recd on 21/1/22 at 4.10 pm.

Sh. Robin

Phone: EPBX-2711386-90 E-Mail:- gm@rsrdc.com Fax:- 0141-2711178 Website:-RSRDC.Com

कार्यालय द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी – प्रबन्ध निदेशक, आर.एस.आर.डी.सी.लि., जयपुर

अपील संख्या 42 /2022

मैसर्स देव कस्ट्रक्शन — अपीलार्थी

बनाम

परियोजना निदेशक यूनिट – धौलपुर, आर.एस.आर.डी.सी.लि. — प्रत्यार्थी

उपस्थित –

1. अपीलार्थी – अपीलार्थी अनुपस्थित
2. प्रत्यार्थी – परियोजना निदेशक यूनिट – धौलपुर, आर.एस.आर.डी.सी.लि.

निर्णय

दिनांक :– 21.01.2022

यह कि वर्तमान द्वितीय अपील प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.12.2021 के विरूद्व द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अन्तर्गत धारा– 38 राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012 सपठित राजस्थान लोक उपापन में पारदिर्शिता नियम, 2013 अपीलार्थी मैसर्स देव कन्स्ट्रक्शन द्वारा दिनांक 11.01.2022 को दायर की गई है।

अपील के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि आर.एस.आर.डी.सी.लि. द्वारा चम्बल (सोने का गुरजा सेवक– पाली) पर उच्च तलीय पुल निर्माण कार्य हेतु निविदा संख्या 195/2021–21 दिनांक 26.10.2021 को ई– प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की गई, जिसमें निविदा प्रपत्र डाउनलोड एवं जमा कराने की अवधि 01.11.2021 से 15.12.2021 सायं 6.00 बजे तक निर्धारित थी।

यह है कि आर टी पी पी एक्ट 2012 की धारा 22 में प्रदत्त प्रावधान की अनुपालना में निविदा में वर्णित बोली पूर्व स्पष्टीकरण के लिए निर्धारित तिथि 10.11.2021 को निविदा पूर्व बैठक आयोजित की गई।

यह है कि दिनांक 15.12.2021 सायं काल 6.00 बजे तक कुल चार निविदाये ऑनलाईन प्राप्त हुईं। निविदाओं में वर्णित नियत तिथि 16.12.2021 को तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित कर सभी प्राप्त निविदा एवं संलग्न दस्तावेज का परीक्षण किया गया। तकनीकी समिति द्वारा दिनाक 16.12.2021 की गई मूल्यांकन रिपोर्ट को दिनांक 18.12.2021 को पोर्टल पर अपलोड किया गया। तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा अपीलार्थी की निविदा को इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि :–

जोईन्ट बैन्चर के लीड पार्टनर को औसत वार्षिक वित्तिय टर्न ओवर बिड राशि रूपयें 74 करोड का 60 प्रतिशत यानि 44.40 करोड का प्रमाण अपलोड करना था, जबकि निविदाकर्ता अपीलार्थी फर्म द्वारा मात्र 19.32 करोड का एवं फाईनेशियल केपेसिटी (Finacial Capacity) रूपयें 8.88 करोड रूपयें का प्रमाण अपलोड करना था, जबकि अपीलार्थी फर्म

ने 4.72 करोड रूपयें की फाईनेसियल केपीसिटी का ही प्रमाण अपलोड किया है, जो कि आर एफ पी के क्लॉज संख्या 2.2.2.4 के अनुरूप नही है।

तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा दिनांक 16.12.2021 की तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट को दिनांक 18.12.2021 को पोर्टल पर अपलोड किया गया था। अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की गई है।

1. यह है कि अपीलार्थी फर्म द्वारा बिड डाक्यूमेन्ट में डी एम आर बिल्र्डस प्रा. लि. एस सी एफ 126 अपोजिट सुकराज सिनेमा गोनियाना रोड भटिन्डा के साथ जोईन्ट बैन्चर की गई थी, जिसमें डी एम आर बिल्डर्स प्रा. लि. 40 प्रतिशत तथा मैसर्स देंव कन्स्ट्रक्शन 60 प्रतिशत हो गया था, जो कि गलत था, लेकिन उसी दिन अपीलार्थी फर्म का जोईन्ट बैन्चर एग्रीमेन्ट डी एम आर बिल्डर्स प्रा. लि. 60 प्रतिशत तथा मैसर्स देंव कन्स्ट्रक्शन 40 प्रतिशत का बनवाया गया था, जो कि सही था।
2. यह है कि अपीलार्थी फर्म द्वारा एन आई टी 195/2021–22 का टैन्डर अपलोड करते समय भूलवश बिड डाक्यूमेन्ट में गलत जोईन्ट बैन्चर डी एम आर बिल्डर्स प्रा. लि. 40 प्रतिशत तथा मैसर्स देंव कन्स्ट्रक्शन 60 प्रतिशत अपलोड हो गया था।
3. यह है कि अपीलार्थी फर्म द्वारा गलती से अपलोड हुये जोईन्ट बैन्चर एग्रीमेन्ट को निरस्त करते हुये संशोधित जोईन्ट बैन्चर एग्रीमेन्ट जो अपील में संलग्न है,को स्वीकार कर टैक्नीकल बिड में क्वालीफाई करने का अनुरोध किया है।

यह है कि दिंनाक 17.01.2022 को प्रत्यार्थी परियोजना निदेशक यूनिट– धौलपुर आर एस आर डी सी द्वारा निम्न कथन प्रस्तुत किये गये।

1. यह है कि अपीलार्थी द्वारा संशोधित जोईन्ट बैन्चर एग्रीमेन्ट निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि के पश्चात् अपील के साथ आफलाईन प्रस्तुत किया है, जो निविदा प्राप्त करने की अन्तिम दिंनाक 15.12.2021 के पश्चात् प्रदत्त किया है। अपीलार्थी द्वारा जो दस्तावेज अपलोड ही नही किया गया, तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा, उसके आधार पर आज की तिथि में आर एफ पी के क्लॉज 2.10.1 एवं आर टी पी पी एक्ट 2013 के नियम 60 के अनुसार स्वीकार नही किया जा सकता।
2. यह है कि अपीलार्थी के द्वारा अपलोडेड जोईन्ट बैन्चर एग्रीमेन्ट जिसमें लीड पार्टनर को 60 प्रतिशत हिस्सेदारी है, को औसत वार्षिक वित्तिय टर्न ओवर, बिड राशि रूपयें 74 करोड का 60 प्रतिशत यानि 44.40 करोड का प्रमाण अपलोड करना था, जबकि अपीलार्थी फर्म द्वारा मात्र 19.32 करोड का ही प्रमाण अपलोड किया है, जो कि आर एफ पी के क्लॉज संख्या 2.2.2.4 के अनुरूप नही है। फाईनेसर केपीसिटी के लिए अपीलार्थी फर्म के लीड पार्टनर को,, बिड मूल्य का 20 प्रतिशत मूल्य का नेट वर्द राशि 8.88 करोड का प्रमाण अपलोड करना था, जबकि फर्म द्वारा राशि 4.72 करोड के नेट वर्द का प्रमाण अपलोड किया है, जो कि राशि रू. 8.88 करोड से कम है, अर्थात् आर एफ पी के क्लॉज संख्या 2.2.2.

4 के अनुरूप नही है। इन आधार पर तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा अपीलार्थी की निविदा को असफल माना है। उपरोक्त के परिपेक्ष्य में स्वत ही स्पष्ट है कि तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा अपीलार्थी की निविदा को अस्वीकार करना भूल एवं त्रुटि नही है।

3. यह है कि उक्त कार्य की वितिय निविदा भी दिंनाक 21.12.2021 को खोली जा चुकी है।
4. अन्त में अनुरोध किया गया है कि समिति द्वारा लिया गया निर्णय दिनांक 16.12.2021 निविदा के प्रस्ताव क्लॉज 2.10.1, 2.11.1 एवं आर टी पी पी एक्ट 2012 के नियम 8 में प्रदत्त प्रावधान के अनुरूप लिया गया है। अतः अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

दिंनाक 17.01.2022 को अपीलार्थी के अनुरोध पर प्रकरण में अग्रिम तारिख पैशी दिनांक 21.01.2022 अर्थात् आज की निर्धारित की गई थी। अपीलार्थी आज दिनांक 21.01.2022 को भी उपस्थित नहीं हुये, प्रत्यार्थी– परियोजना निदेशक यूनिट– धौलपुर, आर एस आर डी सी लि. उपस्थित हुयें, उन्हें विस्तार से सुना गया, एवं उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया।

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील तथा उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज एवं
प्रत्यार्थी
द्वारा प्रस्तुत अपील का जवाब तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.12.2021 का अवलोकन एवं अनुशीलन किया गया, प्रत्यार्थी– परियोजना निदेशक यूनिट– धौलपुर, आर एस आर डी सी लि. को सुना गया।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.12.2021 राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम में प्रदत्त प्रावधान के आधार पर पारित किया गया है, निर्णय में किसी भी प्रकार की त्रुटि नही है, इसलिए प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील उपरोक्तानुसार निरस्त की जाती है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करेगें।

निर्णय आज दिंनाक 21.01.2022 को जारी किया गया ।

द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी ,

21/1/22

(संदीप माथुर)
प्रबन्ध निदेशक
आर.एस.आर.डी.सी. लि. जयपुर।